प्रथम अध्याय

शोध परिचय

प्रथम अध्याय

शोध परिचय

1.1. प्रस्तावना :

व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के विकास में शिक्षण की महत्वूपर्ण भूमिका है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राचीनकाल में शिक्षा व्यवस्था का संगठन किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'विश्व मानव अधिकार घोषणा' (Universal Declaration of Human Right) की गई, जिसमें जाति, प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, श्रेणी (Status) का लिहाज किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा व शिक्षा का प्रावधान था।

जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, 'स्त्री शिक्षा भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसकी जड़ हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा में निहित है।

'स्त्री शिक्षा' को महत्व प्रदान करते हुए 'नेयोलियन' ने कहा था– ''मुझे सुशिक्षित माताएँ दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूँगा।''

आज 21वीं शताब्दि में देश के सर्वांगिण विकास की बात की जा रही है। पर आज भी ग्रमीण-विस्तार कि जहाँ पिछडे वर्ग के लोग रहते है, वहाँ लिंग भेद बडी मात्रा में देखा जा सकता है। इस लिए वहाँ पर स्त्री शिक्षा की मात्रा बहुत कम है। इस बात को लक्ष्य में लेकर –

Department of Elementary and literacy ने नारी शिक्षा को बढावा देने के लिए निवासी शाला SC/ST/OBC और लघुमति जाति की बालाए जिसने शाला छोड़ दी है या शाला में आयी ही नहीं या जहाँ पर सुविधायें कम हो, पाठशाला तक पहुचना संभव नहीं । ऐसी बालाओं के लिए रहने,

खाने और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देने के लिए 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' की स्थापना हुई।

भारतीय संविधान की 45वीं धारा में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सन् 1988 में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालन किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस सम्मेलन के अन्तर्गत 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना विकसित की गई। जिस में सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया तथा इसे नवम्बर 2000 से मंजुर किया गया।

इस के अंतर्गत ग्रामांचलों में तथा शैक्षणिक आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़े विस्तारों में निवासरत् बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ब्रिजकोर्स, स्कूल चले हम, मध्याह्न भोजन, शिक्षा गारंटी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

1.2. स्त्री शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि :

स्त्री-शिक्षा भारत के लिए नवीन नहीं है। इतिहास को उठाकर देखते है तो पता चलता है कि प्राचीन काल में भी स्त्री किसी-न-किसी रूप में भारत में शिक्षा प्राप्त करती व देती आई है।

- **वैदिक काल :** वैदिककाल में भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरूषों के समान स्थिति प्राप्त थी। उस समय स्त्रियों को पुरूषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने व यज्ञ आदि करने का अधिकार प्राप्त था। वैदिक साहित्य में अत्रियी, गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, अनेक विदुषी स्त्रियों व ऋषिकाओं का पता चलता है।

- **रामायण–महाभारत काल :** रामायण तथा महाभारत काल में कौशल्या द्वारा यज्ञ करना, कुन्ती द्वारा मन्त्रोच्चारण करना तथा रामायण में राजा जनक का भिक्षुणी से दार्शनिक विचार–विमर्श करना आदि से पता चलता है कि उस काल में स्त्रियों को उच्चकोटि की शिक्षा दी जाती थी।

- **बौद्धकाल :** बौद्धकाल में स्त्री–शिक्षा, बौद्धकालीन थेरीगाथा में आम्रपाली, उत्तमा, चन्द्रा, विमला, सुमन आदि ने थेरियाँ की रचनाएँ लिखी है। इस युग में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, एवं शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी।

- **मुस्लिम काल :** मुस्लिमकाल में, केवल कुलीन व शाही परिवार की महिलाओं को ही शिक्षा–सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। फिर भी मुगलकाल में चाँदबीबी, नूरजहाँ आदि स्त्रियों के बारे में पता चलता है।

- **आधुनिक काल :** ईस्ट इंडिया कंपनी से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। मगर इस समय स्त्री शिक्षा की व्यवस्था ज्यादा नहीं थी। इस काल में सबसे पहले स्त्री–शिक्षा हेतु विद्यालय 1820 ई. में कलकत्ता में डेन्डीहेयर ने स्थापित किया।

1854 के वुड के घोषण–पत्र (Wood's Dispatch) में स्त्री–शिक्षा के विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। 1828 में हण्टर कमीशन ने स्त्री–शिक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटाने पर बल दिया। जिसमें फीसमाफी, शिक्षावृत्ति, जैसी योजना थी।

- **स्वतन्त्रता के समय स्त्री–शिक्षा की स्थिति :**

1. प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले 100 लड़कों के अनुपात में 30 लड़कियाँ पढ़ती थी।

2. व्यवसाय प्रशिक्षण व विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में 100 के अनुपात में 7 लड़कियाँ पढ़ती थी।
3. सामान्य शिक्षा के कॉलेजों में अनुपात 100 में से 18 का था।
4. माध्यमिक स्तर पर अनुपात 100 में से 14 का था।
5. स्त्रियों में साक्षरता का दर 6 प्रतिशत मात्र था।

1.3. वर्तमान में साक्षरता की स्थिति :

सरकार की विभिन्न योजनाओं ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जिससे बालिकाओ को शिक्षा के अवसर सुलभ होने में सहायता प्राप्त हुई तथा पूर्व परिस्थिति की अपेक्षा वर्तमान में बालिकाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत तालिका क्रमांक 1.3.1. में दर्शाया गया है।

तलिका क्र.1.3.1.

2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत :

देश एवं प्रदेश	कुल साक्षरता			ग्रामीण साक्षरता			शहरी साक्षरता		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	65-38	75.16	54.40	59.40	71.40	46.70	90.70	86.70	73.10

(मुन्युल रिपोर्ट : लिटेरसी केम्पिन इन इडिया, नई दिल्ली)

तलिका क्र.1.3.2.

2001 में गुजरात राज्य का साक्षरता दर :

विस्तार	1991			2001		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
ग्राम्य	55.36	32.06	44.02	61.99	40.34	51.49
शहरी	71.55	57.25	64.74	76.66	65.73	71.26
कुल	61.03	40.52	51.17	67.59	49.39	58.87

(2001 जनगणना रिपोर्ट)

WWW.GUJRAT-EDUCATION.GOV.IN

1.4. भारत का संविधान और बालिका–शिक्षा :

स्वतंत्र भारत में स्त्री–शिक्षा के प्रसार तथा स्त्री–शिक्षा में गुणात्मक सुधार के क्षेत्र में तेजी से प्रगती हुई है। सदियों से समाज के एक उपेक्षित घटक स्त्री शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि– ''भारत की समस्त नागरिकों को सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते है।''

भारतीय संविधान में महिला शिक्षा की स्थिति सुधारने हेतु नागरिकता के मूलभूत अधिकारों के माध्यम से प्रयास किए है। इसके संदर्भ में निम्न धाराएँ निर्धारित है। धारा 14, 15, 16, 19, 23, 24, 39, 42, 325,

326, 243 डी(3) आदि की सहायता से महिलाओं की शिक्षा में विकासात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ है।

➢ **निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा :**

संविधान के 45वें अनुच्छेद में राज्य सरकार की निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व देने की बात कही गई। धारा के अंतर्गत कहा गया कि – 'राज्य इस संविधान के लाभ होने के 10 वर्ष के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

➢ समान शैक्षिक अधिकार :

भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को अपनी शैक्षिक प्रगति करने के समान अवसर प्रदान करने की बात भी स्पष्ट की है।

समान शैक्षिक अधिकार संबंधित घोषणा संविधान के 29वें एवं 30वें अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया– ''राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, रंगभेद, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जायेगा।''

➢ **स्त्री शिक्षा :**

शिक्षा प्राप्ति के अधिकार एवं समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए संविधान ने स्त्री–शिक्षा तथा बच्चों की शिक्षा के प्रावधान का अनुच्छेद 15 (3) में स्पष्ट करते हुए कहा है कि– ''इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बच्चों के लिये कोई विशेष प्रावधान बनाने में बाधा न होगी।''

संवैधानिक मूल अधिकार एवं देश की विकास प्रक्रिया की गतिमान करने हेतु शिक्षा पर विभिन्न आयोग एवं समितियां स्थापित की है। जिन्होंने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहित कर उनकी स्थिति में सुधार हेतु प्रमुख शिफारिशों को प्रस्तुत किया है।

1.5. नारी शिक्षा के विकास के लिए नवीन प्रयास :

प्राथमिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा को बढावा देने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक प्रयास किए है तथा यह प्रयास वर्तमान में भी किए जा रहे है। ताकि प्राथमिक शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा में गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों कों बढाया जा सके इसके अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा, माध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, औपचारिकेत्तर शिक्षा, एन.पी.ई.जी.ई.एल. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राजीवगांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, पढना बढना आदोलन, आपरेशन क्लैक बोर्ड यूनीसेफ आदि योजनाएँ चलाई जा रहीं है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सुधारण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचय्रा की रूपरेखा 2005 तथा वर्तमान में पारित विधेयक शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास है।

1.5.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं स्त्री शिक्षा 1986 :

सन् 1951 से 1981 के मध्य महिलाओं में साक्षरता की दर 7.93 प्रतिशत से बढकर 24.82 प्रतिशत को पहुँची थी किन्तु शिक्षा अभी तक महिलाओं की समानता के प्रति पर्याप्त योगदान नहीं कर सकी थी, अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए :

1. लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम में हो।
2. 1995 तक 15 से 35 आयुवर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध व चरणबद्ध कार्यक्रम हो।
3. व्यवासायिक, तकनीकी, वृतिक शिक्षा तथा विद्यामान प्राद्यौगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।
4. स्त्री की बुनियादी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए एवं अतीत से चलती आ रही विकृति को ख़त्म करने के लिए शिक्षा का एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तथा महीलाओं को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए ठोस भूमिका निभाई जाएगी।
5. स्त्री से संबंधित अध्ययनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
6. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जाएगा।

1.5.2. सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) :

योजना 2001 में प्रारंभ की गई एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के सभी जिलों में लागू की गई है। एस एस ए. का उददेश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग बालें सभी बच्चो को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

- सन् 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चो का नामांकन।

- सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना है।

- 2010 तक सभी के लिए शिक्षा तथा जीवन शिक्षा हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिकता शिक्षा पर बल दिया गया है।

1.6. सर्व शिक्षा अभियान में नारी शिक्षा की विविध योजनाएँ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :

सभी व्यक्ति को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार है, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे इस अवसर के अभाव में ही जी रहे हैं। क्योंकि, उन्हें प्राथमिक शिक्षा जैसे अनिवार्य मूलभूत अधिकार भी मुहैया नहीं कराए जा रहे है।

भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलायें जा रहे कार्यक्रमो मे अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो के बच्चों तथा बालिकाओं का अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में नामांकन कराने के उद्देश्य से विशेष प्रयास किये गये। प्रथम पंच वर्षीय योजना से लेकर अब तक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या एवं स्कूलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। **सर्व शिक्षा अभियान में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित मुद्दों को केन्द्र में रखा है।**

1. बालिकाओं पर विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं पर ध्यान।
2. विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापिस लाने हेतु अभियान चलाना।
3. लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें।
4. बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण (कोचिंग) और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।

5. शिक्षा के समान अवसरों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम।

6. बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान।

7. 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति।

सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे– एक अनुकरणीय कार्यक्रम के रूप में 2000–01 से प्रारंभ की गई थी। यह योजना वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को उपयोगी तथा सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई।

नागरिकों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ आरंभ की है। ग्रामीण अंचलों में निवासरत् बालक/ बालिकाओं को शिक्षा के विकास हेतु कार्यक्रमों/ योजनाओं का संचालन किया जा रहा है– जो निम्नलिखित हैं :–

1.6.1. अनौपचारिक शिक्षा :

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्व प्रथम छठी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूपसे पिछड़े राज्यों आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, म.प्र., उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, प. बंगाल तथा (बाद में) अरूणाचल प्रदेश में केन्द्रित सहायता कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा के ये केन्द्र उन बच्चों हेतु अत्यावश्यक रूप से उपयोगी थे जो स्कूल (प्राथमिक स्कूल एक कि.मी. दूर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 कि.मी.) दूर होने के कारण परिवार की आर्थिक अक्षमता, कृषि कार्यो में परिवार वालों की मद्द करने वाले बच्चों तथा घर के लिए ईधन/ रसोई एवं पानी तक सीमित वालों की मद्द करने वाले बच्चों तथा घर के लिए ईधन/ रसोई एवं पानी तक सीमित रह जाने वाली लड़कियों हेतु

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के रूप में महत्वपूर्ण थे क्योंकि, इन सभी कारणों से विरतता (ड्रोप आउट) दर अत्यधिक ऊँची बनी हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पश्चात इस कार्यक्रम को संशोधित कर इसे अन्य सभी राज्यों की शहरी मलिन बस्तियों, पहाडी, आदिवासी जनजातीय एवं सुदूर क्षेत्रों के काम करने वाले बच्चों तक उपलब्ध करया गया।

1.6.2. लोक जुम्बिश परियोजना :

बुनियादी शिक्षा के दो बाल्य सहायित कार्यक्रम शिक्षाकर्मी एवं लोक जुम्बिश राजस्थान में संचालित किये गये। ये दोनों प्राथमिक शिक्षा के सार्व भौतिकरण के नवाचार कार्यक्रम हैं जिसमें समाज के सुदूर एवं पिछड़े गॉवों के लैंगिक समता आधारित गुणात्मक सुधार पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम का प्रमुख प्रयास सामुदायिक सह भागिता है।

1.6.3. शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा :

शिक्षा, गारंटी तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ई जी एस ए तथा आई ई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चो को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्वशिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। ई जी एस के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से, अभी तक वंचित बच्चों के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है। ई जी एस दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले 6–14 वर्ष के वे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते, शिक्षा प्रदान करना है। वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा समाज के वंचित वर्ग के बच्चे जैसे बाल श्रमिक, सड़को पर जीवन यापन करने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले और 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है।

1.6.4 .राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम :

यह केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उपक्रमों के माध्यम से प्रांरभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को अधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तीस्तर पर शिक्षा प्रशिक्षण, प्रतिवर्ष प्रतिबालिका 150 रूपए की विद्यमान अधिकतम सीमा के अंतर्गत अन्य किसी स्थानीय तौर पर महसूस की जाने आवश्यकता को पूरा करना, मुक्त विद्यालयों के माध्यम से पढ़ाई करना, छात्राओं का मूल्याकंन तथा उनकी अध्ययन संबंधी समस्याओं को हल करने संबंधी शिक्षण प्रमुख है।

1.6.5. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन :

इस मिशन की स्थापना मई 1988 में कि गई उसके अंतर्गत महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 47 जिलों में महिला साक्षरता दर 30 प्रतिशत से नीचे है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य 117 स्वयं सेवी संगठनों के नेटवर्क को सौंपा गया। इसका उद्देश्य मुख्यतः महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाना है।

1.6.6. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) :

इस योजना का प्रमुख जोर बालिकाओं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, कामकाजी बच्चों, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों आदि की शिक्षा के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष रणनीतियाँ है, तथापि इन समूहों को शामिल करने के लिए समेकित रूप से वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किये गये है।

1.6.7. महिला समाख्या :

यह कार्यक्रम सन् 1989 से प्रारंभ हुआ है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों खासकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई। महिला संघ गाँव स्तर पर महिलाओं को मिलने, सवाल करने और अपने विचार रखने तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के अलावा अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करने का स्थान मुहैया कराते है। मुख्यतः महिला समानता तथा महिलाओं को शिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है।

1.6.8. NPEGEL (नेशनल प्रोग्राम फार गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन) :

बालिका शिक्षा हेतु प्रारंभिक एन.पी.ई.जी.ई.एल. सन् 2003 में गठित किया गया है। प्रारंभिक बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जिले के उन विकासखंडों का चयन किया जाना है। जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत से कम है। जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है। उक्त आधारों पर विकासखंडो को चयनित कर बालिका शिक्षा के विकास हेतु प्रयास किए जाते है।

1.6.9. आवासीय ब्रिजकोर्स :

आवासीय ब्रिजकोर्स का उद्देश्य उन बालिकाओं के लिए है जो शाला से बाहर है, जो कभी स्कूल नहीं गयी या जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक औपचारिक स्कूल में उचित शिक्षा में प्रवेश पाने के लिये तैयार करना है।

1.6.10. आँगनवाड़ी (बाल केन्द्र) योजना :

इस योजना में 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए रखा गया है, जिसमें बाल विकास, शारीरिक मानसिक विकास एवमं पौष्टिक आहार देने के लिए और साथ ही सँवागी विकास हेतु किया गया है। आँगनवाडी कार्यकर्ताओं को व्यापक भूमिका निभानी पडती है उन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जाने वाली सहायता सेवाओं तथा अनेक बालविधियों जैसे बाल अनुरक्षण परिवार-कल्याण, पोषण और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों का मुख्य बिन्दु होना चाहिए।

1.7. राष्ट्रीय पाठ्य चर्या की रूपरेखा-2005 और नारी शिक्षा :

शोध अध्ययन से संबंधित बालिका शिक्षा तथा ढांचागत सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है।

"समानता के व्यवहार या लड़कियों के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है। आज एक कारगर दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है, ताकि परिणामों में समानता आए और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए।

समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका यह समझी जाती है कि यह सभी शिक्षार्थियों को अपने अधिकारों की दिशा में सजग बनाए ताकि वे समाज तथा राजनीति में अपना योगदान कर सके। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उन अधिकारों और सुविधाओं को तब तक लागू नहीं किया जा सकता। जब तक केन्द्रिय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के विद्यार्थियों, विशेषकर लडकियों

के लिए यह मुमकीन होना चाहिए कि वह अपने अधिकारों का दाबा कर सकें और सामूहिक जीवन को सक्रिय रूप देने में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इसके लिए शिक्षा को ऐसा होना चाहिए कि वह उनमें यह सामर्थ्य दे सके कि वे असमान समाजीकरण के नुकसान की भरपाई कर सके और अपनी क्षमताओं का इस प्रकार विकास कर सके कि वे आगे चलकर स्वास्थ और समान नागरिक बन सके।

''ढांचागत सुविधाएँ शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने व गतिविधि केन्द्रित संदर्भ उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी है। स्थान, भवन तथा फर्नीचर संबंधी नियम व मानक तय करने से गुणवत्ता की समझ भी पुष्ट होगी।''

उपरोक्त योजनाओं एवं प्रयासों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का स्तर एवं बालिका शिक्षा का साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

1.8. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) :

सन् 2002 में बने 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम के भाग तीन (मूलभूत अधिकार) के अनुच्छेद 21 ए अंतर्गत 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। इसके अनुसार –''कानून, संकल्प द्वारा राज्य अपने अनुरूप'' 6 से 14 वर्ष तक की आयुवर्ग के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)' के रूप में यह 5 अगस्त सन् 2009 को तत्कालीन मानव

संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के कार्यकाल में पारित किया गया तथा वर्तमान में यह प्रभाव में है इस विधेयक की निम्नलिखित विशेषताएँ है –

1. देश के सभी 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
2. प्राथमिक स्तर अर्थात् कक्षा आठवी की शिक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी विद्यार्थी को कक्षा से बाहर नहीं निकाला जाएगा।
3. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा तथा उन्हें दसवीं बोर्ड की परीक्षा के लिए योग्य समझा जाएगा।
4. अध्यापक एवं छात्र इनका प्रमाण निश्चित करके उस पर कठोर रूप से अमल किया जाएगा।
5. देश के सभी प्रायवेट स्कूलों में आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 25% जगह आरक्षित की जाएगी एवं इन बच्चों के पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी।

शिक्षा का अधिकार विधेयक सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया है।

1.9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का एक प्रयास है जिसमें बालिकाओं की शिक्षा एवं आवास का प्रबंध है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

भारत सरकार ने देशभर में 1180 विद्यालयों की स्थापना के साथ अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूवात की, जो प्रथम 2 वर्ष तक एन.पी.ई.जी.एल. (नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन), एस.एस.ए. (सर्व शिक्षा अभियान) एम.एस. (महिला सामाख्या) के

सहयोग से क्रियान्वित हुआ। वर्तमान में यह सर्व शिक्ष अभियान के एक प्रथक घटक के रूप में अप्रेल 2007 से लागू है।

यह योजना 2004 के निरीक्षण से लागू है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए ब्लॉक जहाँ महिला साक्षतर दर राष्ट्रीय औसत से नीचे (46.13 प्रतिशत, 2001 की जनगणना) है और लिंग का अन्तर राष्ट्रीय औसत (21.59 प्रतिशत 2001 की जनगणना) से ज्यादा है। ऐसे विकासखण्डों में विद्यालय स्थापित किया जाना है।

विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली बालिकाओं को लेने का प्रावधान है।

75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाएँ तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी बालिकाएँ जो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करने में अक्षम है।

1.9.1. योजना के ध्यात्व्य बिदूं :

1. कम साक्षरता वाली आदिवासी महिला जनसंख्या या वह बालिकाएँ जो स्कूल से बाहर है।
2. अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की कम साक्षरता वाली बालिकाएँ।
3. ऐसे क्षेत्र जहाँ महिला साक्षरता दर कम है।
4. ऐसा क्षेत्र जहाँ बालिकाएँ घर दूर होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है।

1.9.2. योजना के घटक :

1. प्रारंभ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की 50 बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोलना।
2. इन विद्यालयों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान करना।
4. शैक्षिक सहायता तथा मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना करना।
5. बालिकाओं के तथा उनके परिवारों को बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।
6. ऐसी बालिकाएँ जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की उम्र से अधिक तथा जो कठिन क्षेत्रों (खानाबदोश या बिखरी हुई प्रजाति) में निवास करती है ऐसी बालिकाओं को भी लक्ष्य रखा गया है।
7. ऐसी बालिकाएँ जो उच्च प्राथमिक स्तर पर नियमित विद्यालय नहीं जा पाती उन्हें सुविधा प्रदान करना।
8. 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को लेने का प्रावधान है।
9. इन विद्यालयों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना।

1.9.3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख उद्देश्य :

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

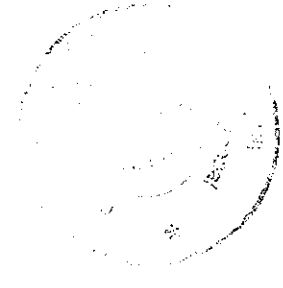

- ❖ शिक्षा की दृष्टी से वंचित क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- ❖ बालक–बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टी से अंतर को समाप्त करना।
- ❖ बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना।
- ❖ बालिकाओं के सर्वांगी विकास हेतु विश्वास बढ़ाना तथा आत्मनिर्भर बनाना।
- ❖ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

1.9.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख लक्ष्य :

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा है जिसके अंतर्गत वे बालिकाएँ जो–

1. प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाएँ जो स्थानीय कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती है।
2. गरीबी एवं पलायन के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाली बालिकाएँ।
3. नदी,नाले एवं जंगल आदि के कारण प्रारंभिक शिक्षा से वंचित बालिकाएँ।
4. अभिभावक नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित बालिकाएँ।

1.9.5. योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्याकन :

1. सर्वप्रथम यह राज्य एवं जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया गया जिसमें पहले इसे महिला समाख्या की सहायता से चलाया गया, जहाँ महिला समाख्या नहीं था वह एन.पी.ई.जी.ई. एल. की सहायता से चलाया गया।

वर्तमान में यह सर्व शिक्षा अभियान के एक प्रथक घटक के रूप में अस्तित्व में है।

2. कर्मचारी एवं शिक्षक प्रशिक्षण हेतु डाइट (जिला शिक्षण संस्थान), बी. आर.सी. (ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर) और महिला समाख्या रिसोर्स ग्रुप है।

1.9.6. योजना हेतु राज्य सहायता समूह :

एन.पी.ई.जी.ई.एल.(नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स इलेमेन्ट्री एजुकेशन) के अंतर्गत एक सलाहकार समिति कार्यक्रम को दिशा और सहायता देने के लिए होती है, जिसमें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के सदस्य, बालिका शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद् होते है। योजना की प्रगति एवं स्कूल की स्थापना के लिए इन सदस्यों की सलाह ली जाती है।

1.9.7. योजना हेतु राष्ट्रीय सहायता समूह :

योजना की अवधारणा, नीति बनाने एवं सलाह देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला समाख्या के अंतर्गत एन.आर.जी. (नेशनल रिसोर्स ग्रुप) की स्थापना की गई है।

1.10. बालिका शिक्षा के संदर्भ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भूमिका :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए विकासखण्ड में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने एवं महिला-पुरूष के मध्य प्रारंभिक स्तर की असमान्ता को दूर करने के लिए 'कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालय' वर्ष 2004-05 से प्रारंभ किए गए। यह विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए संचालित किए गए है, जो स्थानीय कारणों से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं

कर पाती है। इस योजना के अतंर्गत यह विद्यालय उन क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवासीय शालाएँ संचालीत नहीं है वहाँ 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' खोलने की स्वीकृति दी गई है। इस के लिए वर्ष 2007 की जनगणना के अनुसार विकास खंड में ग्रामीण क्षेत्र की राष्ट्रीय औसत महिला, साक्षरता दर 47.13 प्रतिशत या इससे कम है, तथा महिला पुरूष राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से 21.49 प्रतिशत है। उस विकासखण्डों में यह विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी जाती है। भारत के 24 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछडे विकास खण्डों में यह विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।

बालिका साक्षरता दर को बढाने में 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' का स्थान अगर अंको के रूप में देखे तो इस प्रकार है।

तालिका क्र. 1.10.1.

CATEGORY WISE GIRLS ENROLLMENT IN KGBV

As on 15th July 2009

Girls Enrollment Category wise			
S.No.	**Category**	**Enrollment**	
1.	S.C. Girls	52345	27%
2.	S.T. Girls	55224	29%
3.	O.B.C. Girls	51216	27%
4.	Minority Girls	14366	07%
5.	B.P.L. Girls	17972	10%
	Total Girls Enrollment	**191123**	**100%**

1.11. नारी शिक्षा के लिए गुजरात सरकार की मुख्य योजनाएँ :

➢ कन्या केळवणी निधि (Kanya Kelavani Yojana) :

राज्य में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 'माननीय मुख्यमंत्री श्री कन्या केणवनी निधि' नाम का एक अलग फंड इकठ्ठा किया गया है। इस फंड में माननीय मुख्यमंत्री श्री को मिली भेंट, सौगादों को बेचकर पैसे इकठ्ठा किये जाते है। इसके अलावा दाताओं, सेवार्थी और अन्य संस्था के पास से मिले दान को जोड़ा गया है। इस तरह 17.16 करोड़ का फंड खड़ा किया गया है। उसमें से हर साल होशियार और तेजस्वी लड़कियों को ईनाम के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता हैं।

➢ विद्या लक्ष्मी योजना (Vidya Laxmi Yojana) :

गाँवों में नारी शिक्षा को उत्तेजन देने के लिए विद्यालक्ष्मी योजना को क्रियान्वित किया गया है। यह योजना में उन गाँवों को महत्व दिया गया है जहाँ साक्षारता का दर 35 प्रतिशत से कम है। यह योजना में पहली कक्षा में प्रवेश कर रही छात्रा को 1000/- रूपये के ''नर्मदा श्री निधि'' के बोन्ड दिये जाते है। जब वह छात्रा कक्षा 7 तक की प्रारंभिक शिक्षा खत्म करती है तो उसे बोन्ड के पैसे ब्याज के साथ लौटाये जाते है। इस योजना में शहरी विस्तार की गरीब परिवार की कन्या को भी लाभ दिया जाता है।

➢ विद्यादीप योजना (Vidya Deep Yojna) :

इस योजना में प्राथमिक शाला से लेकर कॉलेज तक के एक परिवार के एक छात्र को सहायता मिलती है। जिसमें लड़की को प्रधानता दी जाती है। 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात में आए हुए भूकंप में जिन छात्रों की मृत्यु हुई है, उस परिवार की लड़की को पढ़ाई खत्म होने तक

सुरक्षा का कवच दिया जाता है और इस बीमे की रकम (पैसे) सरकार भरेगी।

1.12. समस्या कथन :

'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' मे निवासरत सभी बालिकाओं को नये माहोल, नये लोग, नये नियम के साथ रहना है। ऐसी परिस्थिति में बालिकाओं के मन में कई भाव, संवेग उत्पन्न होते है। अगर उस संवेगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता तो बालिका का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। जिसके कारण बालिका विद्यालय तथा छात्रावास में अन्य छात्राओं के साथ समायोजन नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि पर भी उसका प्रभाव पड सकता है।

उपरोक्त आधार पर संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन का संबंध बालिकाओं की उपलब्धि से है या नहीं यह जानना संशोधन का विषय है।

1.13. अध्ययन की आवश्यकता :

'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' में निवासरत छात्रायें 6 से 14 साल तक की होती है। इस अवस्था में बालिकाओं के मन में कई सवाल उठते है। वह अपने मन के सवालों से परेशान होती है साथ में नये वातावरण, नये लोगों के साथ रहना है और समायोजन करना है।

जब बालिकायें अपने समाज अपना परिवार अपने माता-पिता को छोडकर विद्यालय में आई है। तब उस के संर्वगों को समझना तथा बालिकाओं को सही मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी विद्यालय की होती है। इसके अलावा सभी बालिका अलग-अलग संस्कृति से, समाज से आई है, सबके विचार तथा संवेग अलग होगे। तब बालिकाओं का समायोजन कैसा है यह जान सकते है तथा उसे सही मार्गदर्शन दे सकते है।

बालिका को आगे समाज में जाना है तब उसे अपने आपका स्थान वहा तय करना है इस लिए भी छात्राओं को अपने संवेगों पर काबु प्राप्त करना होगा। इसलिए भी शिक्षक, वार्डन तथा बालमित्र उसकी सहायता कर सकती है। बालिका को सही दिशा दिखा सकते है अतः यह शोधकार्य इस दिशा में उपयुक्त है।

1.14. शोध प्रश्न :

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं का संवेगात्मक बुद्धिस्तर एवं समायोजनस्तर कैसा है ?
2. क्या उच्च, मध्यम एवं निम्न स्तर की संवेगात्मक बुद्धिस्तर और समायोजनस्तर की बालिकाओं के समूह की उपलब्धि में सार्थक अंतर है ?
3. क्या कक्षा 5, 6 और 7 की बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन एवं उपलब्धि में सार्थक अंतर है ?
4. क्या के.जी.बी.वी.-1 और के.जी.बी.वी.-2 में निवासरत् बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन एवं उपलब्धि में सार्थक अंतर है ?
5. क्या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि, समायोजन एवं उपलब्धि में सार्थक संबंध है ?

1.15. शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

1. उच्च, मध्यम एवं निम्न संवेगात्मक बुद्धिस्तर की बालिकाओं के समूहों की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।
2. उच्च, मध्यम एवं निम्न समायोजनस्तर की बालिकाओं के समूहों की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।
3. कक्षा 5,6 और 7 की बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

4. कक्षा 5,6 और 7 की बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं है।

5. कक्षा 5,6 और 7 की बालिकाओं की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

6. के.जी.बी.वी.-1 और के.जी.बी.वी.-2 में निवासरत् बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

7. के.जी.बी.वी.-1 और के.जी.बी.वी.-2 में निवासरत् बालिकाओं के समायोजन में सार्थक अंतर नहीं है।

8. के.जी.बी.वी.-1 और के.जी.बी.वी.-2 में निवासरत् बालिकाओं की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि एवं समायोजन में सार्थक संबंध नहीं है।

10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं के समायोजन एवं उपलब्धि में सार्थक संबंध नहीं है।

11. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं की संवेगात्मक बुद्धि एवं उपलब्धि में सार्थक संबंध नहीं है।

1.16. परिचालक परिभाषाएँ

(1) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :-

आज भी गुजरात के अतः दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ बालिका प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाती। उसकी वजह है कि पास में कोई विद्यालय या पाठशाला नहीं है और दूर पढ़ने के लिए अभिभावक बालिका को बहार भेंजते नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि, उसकी आर्थिक क्षमता भी न हो पढाने की तब बालिका की बजाय बालक को मौका मिलता है। तब ऐसी स्थिति में बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने

के उद्देश्य से स्थापित किये गये निवासीय विद्यालयों को 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' नाम दिया गया।

(2) संवेगात्मक बुध्धि (Emotional Intellisence) :

संवेग का अर्थ समझाते हुए कई विद्यवानों ने उसे व्याख्यायित किया है। पर उसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि – ''मनुष्य के मन के भावों की तिव्रता जो मनुष्य के शरीर में भी परिवर्तन लाता है, और उसे मनुष्य अपने व्यवहार से प्रगट करता है।'' जैसे क्रोध के वक्त मनुष्य के शरीर का तापमान बढ जाता है और मनुष्य किसी चीज को मार कर, जोर से चिल्ला कर अपने भाव को व्यक्त करता है।

संवेगो की संख्या 14 मानी गई है वह मनुष्य के मन पर हावी हो जाय तो मनुष्य का जीवन समस्या पूर्ण बन जाता है। वह मनुष्य कही भी समायोजन नहीं कर पाता।

क्रो व क्रो (Crow and Crow) के मतानुसार – ''संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजना पूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुडी होती है और जिस की अभिव्यक्ति उपरी व्यवहार के रूप में होती है।''

(3) समायोजन :

समायोजन व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रक्रिया है, जिस में विद्यार्थी अपने और अपने वातावारण के मध्य समन्वय स्थापित करता है एवं आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। सामजस्य में न्यूनता तथा अधिकता बालिकाओं की उपलब्धि को भी प्रभावित करती है।

प्रस्तुत शोध कार्य में सामंजस्य से तात्पर्य बालिकाओं के घर, विद्यालय, समवय समूह से समायोजन स्थापित करना है।

(4) शैक्षिक उपलब्धि :

शैक्षिक उपलब्धि से आशय बालिकाओं की अर्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों से है। यह बालिकाओं द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान या शालेय विषयों में विकसित प्रविणता या कुशलता से होता है जो कि, प्रायः परीक्षणों में प्राप्त अंकों द्वारा या शिक्षक द्वारा दिए अंको द्वारा निश्चित किया जाता है।

1.17. अध्ययन की सीमा :-

1. लघुशोध कार्य को गुजरात राज्य के भावनगर जिले तक सीमित रखा गया है।
2. शोधकार्य 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय' में निवासरत बालिकाओं तक ही सीमित है।
3. लघुशोधकार्य बालिकाओं के संवेगात्मक बुद्धि तथा समायोजन क्षमता के आंकलन तक सीमित है।
4. लघुशोध कार्य बालिकाओं के खुशी, डर, गुस्सा, दुःख, हेरानगी, शर्म, चिंता आदि प्रमुख संवेग तक सीमित है।
5. लघुशोध कार्य में विद्यालय, परिवार, समवय समूह के साथ समायोजन तक सीमित है।
6. संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण में विभिन्न विभागों कों अलग न लेकर समग्र बुद्धिस्तर देखा है।
7. समायोजन परीक्षण में विभिन्न विभागों कों अलग न लेकर समग्र समायोजन देखा है।